

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

श्रीमती मन्जु सुराना प्रधानाचार्य रा.आ.उ.मा.वि. गजनेर, श्रीकोलायत, जिला बीकानेर जन्मतिथि 15.12.1963 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक-22.11.2019 से 21.12.2019 तक (30 दिवस) अमेरिका (Hartford) जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-  
(i) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।  
(ii) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।  
(iii) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।  
(iv) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

(नथमल डिडेले)

आई.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक- 26/8/19

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/विदेश यात्रा/2019

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


- 1- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर।
- 3- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदेन बीआरसीएफ, ब्लॉक-कोलायत(बीकानेर)।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 5- श्रीमती मन्जु सुराना प्रधानाचार्य रा.आ.उ.मा.वि. गजनेर, जिला बीकानेर
- 6- निजी/रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
संशोधन आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/विदेश यात्रा/2019 दिनांक- 26.08.19 के द्वारा श्रीमती मन्जु खुराना विदेश यात्रा की स्वीकृति जारी की गई थी। इस आदेश में नाम मन्जु खुराना अंकित हो गया है, के स्थान पर नाम मन्जु खुराना पढा जावें।  
शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर  
दिनांक- 27/8/19

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/विदेश यात्रा/2019

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर।
- 2- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदेन बीआरसीएफ, ब्लॉक-कोलायत(बीकानेर)।
- 3- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 4- श्रीमती मन्जु खुराना प्रधानाचार्य रा.आ.उ.मा.वि. गजनेर, जिला बीकानेर
- 5- निजी/रक्षित पत्रावली ।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

श्रीमती जयारानी राठौड़, प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, स्टेशन, चित्तौडगढ जन्मतिथि 07.07.1964 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 05.09.2019 से 28.09.2019 तक चौबीस दिवस की बिश्केक (किर्गिस्तान) जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 82 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवे :-
  - (1) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
  - (2) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तारण पूर्ण से कर दिया गया है।
  - (3) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
  - (4) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत्र से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जावेगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक : 27.08.19

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/ए-5,6,8/विदेश यात्रा/2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग, उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चित्तौडगढ
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं0स0 चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ
5. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, स्टेशन चित्तौडगढ
6. श्रीमती जयारानी राठौड़, प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, स्टेशन, चित्तौडगढ

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर